सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-664/MRLY/16/2022-SSW

दिनांक: 21.12.2023

सेवा में,

Shri Shobhan Chaudhuri
General Manager
Northern Railway
Baroda House, New Delhi-110001
Email:- gm@nr.railnet.gov.in
Phone:- 011- 23387227

विषय: अनुकम्पा के आधार पर रेलवे प्रशासन द्वारा नौकरी न देने के संबंध में - श्रीमती रमेशी देवी पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल मीना (पूर्व ट्रैकमैन/हापुड), ग्राम-गढौरा, पो-कालाखो, तहसील-सिकराय, जिला- दौसा (राजस्थान)

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 को 12:00 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि मीटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय सदस्य महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

रा० मिश्र

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
फोन :- 011-24641640

प्रतिलिपि :-

श्रीमती रमेशी देवी पत्नी श्री गिरधारी लाल मीना,
ग्राम-गढौरा, पो-कालाखो,
तहसील-सिकराय,जिला- दौसा-303501

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member, NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>

**श्रीमती रमेशी देवी पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल मीना (पूर्व ट्रैक मैन/हापुड, उत्तर रेलवे) ग्राम-गडौरा, पो-कालाखों, तहसील-सिकराय, जिला- दौसा (राजस्थान) को अनुकम्पा के आधार पर रेलवे प्रशासन द्वारा नौकरी न देने के संबंध में - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अंनत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 समय 12:00 बजे सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।**

**(File No. NCST/SER-664/MRLY/16/2022-SSW)**
दिनांक 29.11.2023

बैठक में प्रतिभागियों की सूची अनुवंध पर है।

श्रीमती रमेशी देवी पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल मीना (पूर्व ट्रैक मैन/हापुड, उत्तर रेलवे) ग्राम-गडौरा, पो-कालाखों, तहसील-सिकराय, जिला- दौसा ने अपने अभ्यावेदन दिनांक शून्य (मास अक्टूबर, 2022) में बताया कि उनके पति श्री गिरधारी लाल मीना दिनांक 31.08.2020 को सडक दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गए थे और उसके पश्चात इलाज के दौरान दिनांक 01.09.2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात, उत्तर रेलवे प्रशासन के साथ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पत्राचार किया, परंतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में आयोग ने सम संख्यक नोटिस दिनांक 14.11.2022 द्वारा महा प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली से तथ्य तथा आख्या भेजने का निवेदन किया।

उत्तर रेलवे ने पत्र संख्या 220-ई/1258/31-एनसी/एसटी/मुरा./22/आरपी सैल दिनांक 26.12.2022 द्वारा प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्रेषित की, जिसे आयोग ने पत्र दिनांक 20.01.2023 द्वारा श्रीमती रमेशी देवी को सूचनार्थ अग्रसारित कर दिया। श्रीमती रमेशी देवी ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 20.02.2023 में बताया कि प्रकरण से संबंधित सभी पेपर, स्व. श्री गिरधारी लाल मीना के साथ ही दुर्घटना (दिनांक 31.08.2020) के समय उन्ही के पास थे जो उसी दुर्घटना में खो गए। श्रीमती रमेशी देवी के इस प्रत्युत्तर को, आयोग के पत्र दिनांक 03.04.2023 द्वारा पुन: महा प्रबंधक उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को तथ्य तथा आख्या हेतु भेजा। उत्तर रेलवे ने पत्र संख्या 220-ई/1258/31-एनसी/एसटी/मुरा./22/आरपी सैल दिनांक 22.06.2023 द्वारा प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्रेषित की, जिसे आयोग के पत्र दिनांक 04.08.2023 द्वारा आवेदिका को सूचनार्थ भेज दिया गया। आवेदिका ने पुन: न्याय की मांग की।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिस पर आयोग ने, समस्या को हल करने के लिए दिनांक 29.11.2023 को महा प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली तथा आवेदिका के साथ बैठक करने का निर्णय किया, जिसकी सूचना, आयोग के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा महा प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली एवं आवेदिका को दी गई। महा प्रबंधक, उत्तर रेलवे ने पत्र संख्या 220-ई/1258/31-एनसी/एसटी/मुरा./22/आरपी सैल दिनांक 28.11.2023 के द्वारा सूचित किया कि दिनांक 29.11.2023 आवश्यक कार्य के कारण वह उपस्थित नहीं हो पाएगें तथा उनके स्थान पर मुरादाबाद डिवीजन के अधिकारीगण आयोग के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद डिवीजन तथा उत्तर रेलवे मुख्यालय के अधिकारीगण बैठक में उपस्थित हुए तथा आवेदिका एवं उनके परिजन भी उपस्थित हुई। आवेदिका तथा उनके परिजनों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है तथा रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए पत्र उपलब्ध नहीं है तथा रेलवे प्रशासन द्वारा लगाए गए दंड के विरूद्ध की गई अपील की प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं है। रेलवे के अधिकारियों ने प्रशासन द्वारा दिए गए उत्तरों तथा नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रकरण में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना असम्भव है परंतु अनुकम्पा भत्ता दिया जा सकता है।

आयोग ने रेलवे के अधिकारियों एवं आवेदिका तथा उनके परिजनों के साथ किए गए विचार विमर्श के बाद, आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतिया की तथा उन पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट, मीटिग के कार्यवृत्त प्राप्त होने के एक महीने के अदंर, आयोग में प्रस्तुत करने को कहा।

1. उत्तर रेलवे द्वारा, मृतक कर्मचारी श्री गिरधारी लाल मीना के रिटायरमेंट परिलाभ (पी.एफ तथा अन्य लाभ) आवेदिका को, अविलम्ब प्रदान करने की कार्रवाई करें।
2. आवेदिका एवं उनके परिजनों को सलाह दी जाती है कि वह रेलवे के बेलफेयर इंस्पेक्टर एवं उत्तर रेलवे प्रशासन, मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें। जिससे रेलवे प्रशासन को आगे की कार्रवाई करने में सुगमता रहे।
3. रेलवे के बेलफेयर इंस्पेक्टर एवं उत्तर रेलवे प्रशासन, मुरादाबाद मंडल द्वारा आवेदिका को अनुकम्पा भत्ता दिलाने हेतु फार्म या अभ्यावेदन तैयार करने में सहायता करने का कष्ट करें।
4. आवेदिका को अनुकम्पा भत्ता दिलाने हेतु की जाने वाली कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाए।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुबंध

**श्रीमती रमेशी देवी पत्नी स्व. श्री गिरधारी लाल मीना (पूर्व ट्रैक मैन/हापुड, उत्तर रेलवे) ग्राम- गडौरा, पो-कालाखों, तहसील-सिकराय, जिला- दौसा (राजस्थान) को अनुकम्पा के आधार पर रेलवे प्रशासन द्वारा नौकरी न देने के संबंध में - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अंनत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 समय 12:00 बजे बैठक में प्रतिभागियों की सूची।**

I. **उत्तर रेलवे**

1 श्री राकेश सिंह, अतिरिक्त डी.आर.एम, मुरादाबाद

2 डॉ अजय सोयल, सिनीयर डी.पी.ओ, मुरादाबाद

3 श्रीमती हंसा दास, चीफ पर्शनल आफीसर, मुख्यालय

4 श्री वी.के भारती, ऐ.पी.ओ/लीगल एंड आर.पी, मुख्यालय

II. **आवेदिका**

श्रीमती रमेशी देवी
(परिजन:- महेन्द्र मीना व मुनेश कुमार मीना)